तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/1/23	प्रार्थी वकिल उपस्थित/विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब 2 माह से अधिक समय हो चुका हैं, न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वंय या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया की प्रार्थी व विपगार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा–सेढ आये हुए हैं, प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे व कणें बने हुए थे जो वर्तमान में आधिंयों की वजय से बिखर गये जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के बिच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता हैं। इस कारण प्रार्थी के अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवानें बाबत् नेखमबन्दी करवाना आवश्यक हैं। इसलिए प्रार्थी के नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी को नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.नि. से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेंखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

न्यायालय
क्रमांक:

हुक्म ...
मैं जारी हु...

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

कमांकः वाद / 2023 / 133 दिनांकः— 23.01.2023

राजस्व आवेदन संख्या 425 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. उदाराम पुत्र गुणेशाराम वगैरा जाति मेघवाल निवासी श्रवण नाडी चीबी तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. हुकमाराम पुत्र पदमाराम वगैरा 9 निवासी श्रवणनाडी, चीबी तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा—श्रवण नाडी पटवार हल्का—चीबी तहसील गिड़ा जिला—बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 274 / 151 रकबा 4.3706 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा हैं खातेदार को यह अधिकार हैं कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबन्दी करा सकता हैं। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्र्तगत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मौके पर कमिशनर शुल्क 500 / — जमा करवाकर करें। एवं पालना रिपोट पेंश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

23/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांकः वाद / 2023 / 134-138 दिनांकः— 23.01.2023

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का चीबी को भेजकर लेख हैं कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी उदाराम पुत्र गुणेशाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण हुकमाराम पुत्र पदमाराम वगैरा 9
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

23/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु